

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग-5
संख्या: 960 XX(5)/25/03(10)2024-70039
देहरादून, दिनांक 03 जुलाई, 2025

अधिसूचना

गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 785/XX(5)25/03(10)2024-70461, दिनांक 06 जून 2025 द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2025 से पूर्व संपन्न हुए विवाहों के पंजीकरण/अभिस्वीकृति को दिनांक 26 जुलाई, 2025 तक निःशुल्क किये जाने का प्रावधान किया गया है। शासन द्वारा सीमित अवधि के लिये प्रावधानित इस सुविधा का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निमित्त राज्य के प्रत्येक जनपद में IEC गतिविधियों हेतु ₹10 लाख रुपये प्रति जनपद धनराशि का प्रावधान किया जाता है।

02- जिलाधिकारी द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं मदों के अंतर्गत व्यय सुनिश्चित करते हुए जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के स्वप्रमाणित बीजक शासन को भुगतान हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनके भुगतान संबंधित अंतिम कार्यवाही पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड स्तर से संपादित की जायेगी।

Digitally signed by
Shailesh Bagauli
Date: 03-07-2025
09:42:17

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या: 960 XX(5)/25/03(10)2024-70039 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6. स्थानिक आयुक्त/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), देहरादून, उत्तराखण्ड।
11. स्टेट हैड, सी0एस0सी0, एस0पी0वी0, उत्तराखण्ड।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी शासकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
NIVEDITA KUKRETI
Date: 03-07-2025
10:38:16

आज्ञा से,
(निवेदिता कुकरेती)
अपर सचिव।